भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 954

(जिसका उत्तर मंगलवार, 28 जुलाई, 2015 को दिया गया)

<u>कर्णाटक में निष्किय कंपनियां</u>

954. श्री बी. के. हरिप्रसाद : क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** दिनांक 21 जुलाई, 2015 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 43 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि विगत दो वर्ष के दौरान कर्णाटक में निष्क्रिय/बंद पड़ी कंपनियों की संख्या कितनी है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरूण जेटली)

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560(5) के तहत जो कंपनी, कंपनी की पंजीकरण सूची से हटा दी जाती हैं उसे एमसीए21 डाटाबेस में निष्क्रिय कंपनी के रूप में चिन्हित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, जिन कंपनियों ने लगातार पिछले तीन वर्षों से अपनी सांविधिक विवरणी दायर नहीं की है उन्हें एमसीए21 डाटाबेस में अकार्यशील (डोरमेंट) कंपनी के रूप में चिन्हित किया गया है। एमसीए21 डाटाबेस से हटाई गई कर्नाटक राज्य की ऐसी कंपनियों का विवरण निम्न है -

वर्ष	निष्क्रिय (डिफंक्ट) कंपनियों की संख्या	अकार्यशील (डोरमेंट) कंपनियों की संख्या
2013-14	3098	7771
2014-15	4044	7849

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 455 में निष्क्रीय कंपनी से संबंधित मानदण्डों को व्यापक किया गया है, इसके अनुसार वे कंपनियां निष्क्रीय कंपनी मानी जाती है जो कोई व्यापार नहीं कर रही हैं या परिचालन में नहीं हैं या जिन्होंने कोई महत्वपूर्ण व्यावसायिक लेन-देन (ट्रांजेक्शन) नहीं किया हो, या जिन्होंने दो लगातार वित्तीय वर्षों में वित्तीय विवरण और वार्षिक विवरणी दाखिल नहीं की हो।

*****